22

संख्या–1542/ III(2)/09–22(मु0मं0घो0)/2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

1071
9/4/10

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2010

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2009–10 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित 46 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0: 793/ III(2)/09–04(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 02 मार्च, 2009 तथा शासनादेश सं0: 2488/ III(2)/08–03(मु0मं0घो0)/2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 के द्वारा संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु रू0 0.10 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शासनदेश के क्रमांक–2 पर उल्लिखित शर्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0, पौड़ी एवं मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों पर टी0ए0सी0, वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि **रू0 15308.27 लाख (रूपये एक सौ तिरेपन करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथ उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31 मार्च, 2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. उक्त योजनाओं की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008-09 में उपरिल्लिखित शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2008 तथा दिनांक 02 मार्च, 2009 के द्वारा निर्गत कर दी गई है, अतः उक्त कार्य चालू कार्य के अन्तर्गत आयेंगे तथा उन पर व्यय संगत मद में नियमानुसार रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही बजट मैनुअल के प्रस्तर-211 का अनुपालन करते हुए किया जाये।

13- शेष सभी शर्तें शासनादेश सं०:- 2408/III(2)/08-03(मु०मं०घो०)/2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश सं०: 793/III(2)/09-04(मु०मं०घो०)/2009 दिनांक 02 मार्च, 2009 के अनुसार यथावत् रहेंगी और उक्त शासनादेश के द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि को चालू कार्यों से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि में समायोजित करते हुए शेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

14- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 1152/XXVII/(2)/2010 दिनांकः 30 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः- (1)/III(2)/09-22(मु०मं०घो०)/2009 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून

पत्रांक - 4106 / 03 बजट (मार्ग/सेतु-नये कार्य) /09-10 दिनांक 31.3.10

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी/अल्मोड़ा
(2) नियोजन वर्ग-1 / प्राविधिक वर्ग कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड ।

(हस्ताक्षर) 31/3/10
सहायक लेखाधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर
लोक निर्माण विभाग (उत्तराखण्ड)

शासनादेश सं0: 1542/ III(2)/09-22(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत (लाख में)
01	02	03	
01	विधान सभा गंगोत्री में पीपली धनारी से थाती धारकोट मुरडगांव ग्रामीण मार्ग का सेतु सहित निर्माण	2.00 + 25 मी0 स्पान	333.75
02	जनपद अल्मोड़ा में नागतले-आसुतले मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	20.00	700.00
03	चोरगलिया से टनकपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण (काजवे सहित)	55.00 + 2 सेतु (50 + 30) M	2769.10
04	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत एन0एच0 से कोठिला -खिटोटिया मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	350.00
05	जनपद पौड़ी गढ़वाल में दौला-सिरतौली -ताराकुण्ड मोटर मार्ग निर्माण	6.00	210.00
06	जनपद पौड़ी गढ़वाल में खदरासी के निकट मन्दाल नदी पर 48 मी0 स्पान के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण पहुंच मार्ग एवं बचाव कार्य सहित	48 M	128.65
07	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा यमकेश्वर के अन्तर्गत तालीखल-बनचुरी-नैल-कपोल काटल तक मोटर मार्ग का विस्तार।	12.00	420.00
08	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत गाजियाबाद से पत्थरकटटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.00 + 2 सेतु	262.28
09	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के कस्बा मंगलौर से ग्राम लिब्बरहेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.10	41.35
10	हरिद्वार में रसूलपुर बडासी मंगोलपुरा तक सड़क निर्माण		48.66
11	विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम लिब्बरहेड़ी में अजब सिंह के घर से भरतपुर रोड तक सी0सी0मार्ग का निर्माण	300.00 M	16.35
12	जनपद चमोली में गडोरा-अमरपुर-रैतोली- कम्यार मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00	257.25
13	जनपद पौड़ी गढ़वाल में उफरैंखाल- कलाणखाल- बरोला-देघाट मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00
14	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाबौ में पसीण बैण्ड से जिऊखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	175.00
15	जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत एन0एच0 123 नौगांव से मुलाना खेल मैदान तक 1.00 किमी मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	36.75
16	मटेला तलला-रणगैरा-बदाडू- तनकिला-कफलटेर-डुमलोट -डामर-मिडकोट-बधेड़ा-कमलिया मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	525.00
17	जनपद अल्मोड़ा में क्वारब से कोसी तक (कोसी नदी के किनारे) बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	525.00
18	जनपद पौड़ी के अन्तर्गत जयहरी-मैन्दोलिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में	2.10	73.50
19	जनपद अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय से बेतालेश्वर मन्दिर होते हुए विकास भवन को जोड़ने वाले वाहन मार्ग का निर्माण (मोटर मार्ग)	6.00	210.00
20	बालखिला पुल से सिरों कटूड मोटर मार्ग	5.00	183.75
21	जनपद पौड़ी में दगदेवल-गडरी मोटर मार्ग का झलपाणी तक विस्तार	27.00	945.00
22	पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत ग्राम चाई के समीप मधुगंगा नदी पर 50 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण	50 मी0	94.11
23	जनपद हरिद्वार में बहादराबाद विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर-पथरी मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रीस्ट्रैसकंक्रीट सेतु) सहित	5.00 + 30 मी0 स्पान	228.14
24	देवधार फोल्ड मोटर मार्ग से भटवाड़ी पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00 + 36मी0 स्टील गर्डर सेतु सहित	289.00
25	जनपद अल्मोड़ा में तल्ली चम्याड़ी से रणलखास मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य।	13.50	472.50
26	जनपद अल्मोड़ा में कमेटपानी से तया मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	5.00	175.00
27	जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा भिकियासैण मोटर मार्ग में अवशेष भाग का संशोधित कार्य	15.00	335.40

अनुपालन

28	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चाका [illegible] भरपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण	17.00	595.00
29	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आग[illegible] तल्ली स्यूणी तक मोटर का का नव निर्माण	5.00	183.75
30	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैन के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग के किमी0 25 से तल्ली स्यूणी तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	147.00
31	जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत [illegible] से चूल्य गबनी मोटर मार्ग के विस्तार का कार्य।	3.00	110.25
32	जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकासखण्ड में फाबी–[illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	551.25
33	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रतापनगर के अन्तर्गत [illegible] प्रनखुत शुकी मोटर मार्ग शुकी से पोखरी खिट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	380.00
34	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव प्रतापनगर मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से जूनियर हाईस्कूल पिलानीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	35.00
35	देवप्रयाग के अन्तर्गत टकोली से बगड्वालधार मोटर मार्ग का नव निर्माण (12.00 किमी +1 सेतु 24 मीटर स्पान)	12.00 + 1 सेतु	471.12
36	देवप्रयाग के अन्तर्गत पौड़ीखाल एलोपैथिक चिकित्सालय से भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	140.00
37	जनपद रूद्रप्रयाग में सुपाणा धारी सेरा भरदार खरगेड मोटर मार्ग के नव निर्माण ।		
38	जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकासखण्ड में बावई–फलासी–बछनी–भटवाडी–घोण्ड सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00 5.00	551.25 183.75
39	जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि विकासखण्ड में चोपता [illegible] तकमोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	183.75
40	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली–सेमली के मध्य भिलंगना नदी पर 65.00 मी0 स्पान का स्टील गार्डर पैदल सेतु का निर्माण।	65.00 M	102.40
41	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में [illegible] मोटर मार्ग मिसिंग रोड का निर्माण	1.70	59.50
42	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में [illegible]कोट से छगासणी देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.75	61.25
43	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत [illegible] से गोगना सहजकोट–राजकीय इन्टर कालेज कुनीगाड़ होते हुए [illegible]खोड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00 + 2	245.36
44	जनपद अल्मोड़ा में थला भ्याड़ी–मीताकोट तक मोटर मार्ग निर्माण		
45	घाट थराली मोटर मार्ग को थरलियाघाट मोटर मार्ग (थराली की ओर से) जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण	15.00 किमी 22.00 किमी0	525.00 808.50
46	अल्मोड़ा में रनमन में कोसी नदीमें गोरेश्वर मंदिर के पास 40 मी0 स्पान स्टील गर्डर पुल का निर्माण।	40 मी0	63.60
	योग:–		15308.27

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

अनुभाग ।